न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रशासन गांवो के संग
अभियान–2021

क्रमांक/राजस्व/प्र0गां0सं0अ0 2021/प.(21–2018) दिनांक :–16.11.2021

निमित,

तहसीलदार
भूपालसागर

विषय :– बाबत् पत्थरगढ़ी।

1. श्री प्रदीपकुमार पिता शंकरलाल सामर नि. आकोला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री खुमाण पिता हरिकिशन माली नि. आकोला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. श्री लक्ष्मण पिता जासिंह माली नि. आकोला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :– 21/2018

–:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::–

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 500/– रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम आकोला पटवार हल्का आकोला तहसील भूपालसागर में स्थित आ0स0 7600/4039, 7607/4040 रकबा 10 ,है. कुल किता 2 कुल रकबा 10 है. की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो, एवं अन्य किसी न्यायालय मे कोई वाद लम्बित/विचाराधिन नहीं हो, तो पत्थरगढ़ी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे।

(भावना सिंह)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर जि. चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2021.11.17 12:55:37 IST
Reason: SelfAttested

16/11/2021 प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021	"प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021" के अंतर्गत न्यायालय प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश होने से पत्रावली पंचायत समिति, भूपालसागर की ग्राम पंचायत: आकोला में आयोजित शिविर दिनांक 16/11/21 को पेश हुई। प्रार्थी ने स्वयं की ग्राम आकोला में स्थित निजी खाते की खा.सं. 7600/4039 रकबा 0.04 हे. व खा.सं. 7607/4040 रकबा 0.06 हे. किता 2 रकबा 0.10 हे. भूमियों पर सीमा के निशानात नहीं होने व पड़ौसियों से विवाद होने से पत्थरगढ़ी की जाने का निवेदन किया। शिविर स्थल पर हल्का पटवारी से मौका स्थिति की जानकारी लेने पर बताया कि मौके पर सीमा निशानात नहीं होने से पत्थरगढ़ी की जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भूपालसागर को 500/ रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि ग्राम आकोला की निजी खाते की खा.सं. 7600/4039 रकबा 0.04 हे. व खा.सं. 7607/4040 रकबा 0.06 हे. किता 2 रकबा 0.10 हे. भूमि पर मौके पर कोई विवाद न हो, किसी अन्य न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन न हो एवं फसल खड़ी नहीं हो की जानकारी करने के उपरान्त ही अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर उभयपक्ष को सूचित कर, दोनों पक्षों की मौजूदगी में पूर्ण पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करें। इस आशय की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर जमा दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जि. चित्तौड़गढ़ (राज.) Signature Not Verified Digitally signed by Bhawna Singh Date: 2021.11.17 12:55:37 IST Reason: SelfAttested	